

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक : C-356 / बा०वि०परि० / नजारत / 2018-19 / दिनांक : 14, मई, 2018

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी /
प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय— वर्ष 2018-19 में परियोजनाओं हेतु वाहनो को किराये पर लेने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र संख्या 11-36/2016-सीडी-1, दिनांक 23.11.217 के अन्तर्गत अम्ब्रेला आई०सी०डी०एस० स्कीम के अन्तर्गत वाहन किराये पर लिये जाने के सम्बन्ध में प्रत्येक वाहन के लिये रू० 2.50 लाख (रू० दो लाख पचास हजार) एक वर्ष हेतु धनराशि निर्धारित की गयी है, इस धनराशि में वाहन पर आने वाले सभी व्यय सम्मिलित होंगे। निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में वाहन किराये पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद में कार्यरत 02 बाल विकास परियोजना अधिकारी को सदस्य नामित करते हुए एक समिति गठित की जायेगी। उक्त समिति द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के किराये पर वाहन लेकर उपयोग करने हेतु परियोजनावार मुहरबन्द कोटेशन/निविदा जो भी लागू हो, आमंत्रित किया जायेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किसी प्रचलित दैनिक समाचार पत्र में व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए निविदा/कोटेशन की कार्यवाही उक्त समिति द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय के अनुसार सम्पन्न किया जायेगा।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति द्वारा समाचार पत्र में कोटेशन/निविदा आमंत्रित करने के उपरान्त कोटेशन/निविदा को खोला जायेगा तथा निविदा/कोटेशन का तुलनात्मक विवरण तैयार किया जायेगा, जिसमें परियोजनावार न्यूनतम दर वाली फर्म /वाहन स्वामी को न्यूनतम दर के आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु टिप्पणी करते हुए संस्तुति की जायेगी।
3. उपरोक्त समिति द्वारा की गयी निविदा/कोटेशन कार्यवाही के आधार पर न्यूनतम दर वाली फर्मो/वाहन स्वामियों द्वारा अंकित दरों पर तुलनात्मक विवरण टिप्पणी के साथ पत्रावली गठित कर जिलाधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी तथा जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त न्यूनतम दर वाली फर्म/वाहन स्वामी को वाहन उपलब्ध कराने हेतु आदेश निर्गत किया जायेगा।
4. इस प्रकार कोटेशन/निविदा के आधार पर न्यूनतम दर वाली फर्म/संस्था/वाहन स्वामी से वाहन किराये पर लिया जायेगा, जिसका उपयोग बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा विभागीय कार्यों के निर्वहन हेतु उपयोग में लाया जायेगा।
5. परियोजना कार्यालय पर उपलब्ध उक्त किराये के वाहन चालक द्वारा प्रतिदिन लागबुक भरा जायेगा तथा लाग बुक पर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

6. माह में उपयोग किये गये वाहन का बिल फर्म/वाहन स्वामी द्वारा तैयार कर बाल विकास परियोजना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जो मासिक रूप से निर्धारित धनराशि का उपयोग करते हुए वाहन के बिल भुगतान करने हेतु संस्तुति सहित बिल जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।
7. जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय से प्राप्त उपरोक्त बिल को एक सप्ताह के अन्दर स्वीकृत कर फर्म/वाहन स्वामी को वाहन किराये की धनराशि का भुगतान कराया जायेगा।
8. उक्त प्रक्रिया के अनुसार ही वाहन जनपद/परियोजनावार किराये पर लिया जायेगा तथा किसी भी दशा में उक्त प्रक्रिया से हटकर जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा वाहन किराये पर नहीं लिया जायेगा न ही प्रक्रिया पूर्ण किये बगैर भुगतान किया जायेगा।
9. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, विभाग, उ०प्र०, शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपरोक्तानुसार वाहन किराये पर लेने की कार्यवाही जिला कार्यक्रम अधिकारी से कराने का कष्ट करें।

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

निदेशालय पत्रांक संख्या C-356 दिनांक 14-05-2018 का अनुलग्नक

क्र०सं०	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत वाहनो की संख्या	अभ्युक्ति
1	आगरा	आगरा	16	7	
2		मैनपुरी	10	6	
3		फिरोजाबाद	11	9	
4		मथुरा	11	7	गत वर्ष के आधार पर
5	अलीगढ़	अलीगढ़	13	8	
6		हाथरस	8	3	
7		एटा	9	7	
8		कासगंज	7	4	गत वर्ष के आधार पर
9	आजमगढ़	आजमगढ़	23	15	
10		मऊ	10	8	
11		बलिया	18	14	
12	इलाहाबाद	इलाहाबाद	22	16	
13		कौशाम्बी	9	8	
14		प्रतापगढ़	18	13	
15		फतेहपुर	14	7	
16	कानपुर नगर	कानपुर नगर	12	8	गत वर्ष के आधार पर
17		कानपुर देहात	11	9	
18		इटावा	9	4	गत वर्ष के आधार पर
19		औरैया	8	7	
20		कन्नौज	9	8	
21		फर्रुखाबाद	8	3	
22	गोरखपुर	गोरखपुर	20	10	गत वर्ष के आधार पर
23		महराजगंज	13	11	
24		देवरिया	17	13	
25		कुशीनगर	15	13	
26	चित्रकूट	चित्रकूट	6	5	गत वर्ष के आधार पर
27		बांदा	9	7	
28		हमीरपुर	8	7	
29		महोबा	5	4	
30	झाँसी	झाँसी	9	6	गत वर्ष के आधार पर
31		जालौन	10	7	
32		ललितपुर	7	5	
33	देवी पाटन	बहराईच	15	14	
34		श्रावस्ती	6	5	
35		गोण्डा	17	15	
36		बलरामपुर	10	8	
37	फैजाबाद	फैजाबाद	12	5	गत वर्ष के आधार पर
38		अम्बेडकर नगर	10	7	गत वर्ष के आधार पर
39		बाराबंकी	16	7	
40		सुल्तानपुर	14	10	

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

निदेशालय पत्रांक संख्या C-356 दिनांक 14.5.2018 का अनुलग्नक

क्र०सं०	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत वाहनो की संख्या	अभ्युक्ति
41		अमेठी	13	7	
42	बरेली	बरेली	16	13	
43		शाहजहाँपुर	16	7	गत वर्ष के आधार पर
44		बदायूँ	16	14	
45		पीलीभीत	8	6	
46	बस्ती	बस्ती	15	7	
47		संतकबीर नगर	10	6	गत वर्ष के आधार पर
48		सिद्धार्थनगर	15	8	गत वर्ष के आधार पर
49	मिर्जापुर	मिर्जापुर	14	5	गत वर्ष के आधार पर
50		सोनभद्र	9	5	गत वर्ष के आधार पर
51		भदोही	7	4	गत वर्ष के आधार पर
52	मुरादाबाद	मुरादाबाद	9	7	गत वर्ष के आधार पर
53		अमरौहा	7	6	
54		रामपुर	8	7	
55		बिजनौर	13	11	
56		संभल	8	7	
57	मेरठ	मेरठ	13	12	
58		गाजियाबाद	5	4	
59		हापुड़	4	3	
60		गौतमबुद्ध नगर	5	5	
61		बागपत	7	4	गत वर्ष के आधार पर
62		बुलन्दशहर	16	14	
63	लखनऊ	लखनऊ	10	5	
64		उन्नाव	17	11	
65		रायबरेली	19	4	गत वर्ष के आधार पर
66		सीतापुर	20	15	
67		हरदोई	20	6	गत वर्ष के आधार पर
68		लखीमपुर खीरी	16	12	
69	वाराणसी	वाराणसी	9	6	
70		चंदौली	10	9	
71		जौनपुर	22	15	
72		गाजीपुर	17	8	
73	सहारनपुर	सहारनपुर	12	5	
74		शामली	5	4	
75		मुजफ्फरनगर	10	8	
		योग	896	600	

(कल्पना पाण्डेय)
अपर परियोजना प्रबंधक